न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,लखनऊ ।

<u>सत्र परीक्षण स0.0100440/2014</u>

सरकार.....बनाम.....माता प्रसाद आदि

<u>आरोप</u>

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **1.माता प्रसाद उर्फ मतऊ 2.रामपाल एवं 3. अजय विश्वकर्मा** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँः–

1. यह कि दिनांक 11/10/2013 को समय करीब 6.30 बजे सायं स्थान बहद ग्राम हरिहरपुर थाना गोसाईगंज जिला लखनऊ में आप ने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी मुकदमा रामरती जोकि अनुसूचित जाति की सदस्य है, के साथ उसका हाथ पकड़ घसीटा और उसके साथ छेड़खानी करते हुए उसके नाजुक अंगो को छूकर अश्लील हरकते की और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की **धारा 354–ख** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप लोगो ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी श्रीमती रामरती जोकि अनुसूचित जाति/जनजाति की सदस्या है,के गले से सोने का मंगल सूत्र छीन लिया और इस प्रकार उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 394** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप लोगो ने वादिनी मुकदमा श्रीमती रामरती को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है, का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकते की और उसका सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **धारा 3(1)11 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक :27/02/2016

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होनें इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

दिनॉक :27/02/2016

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अ0ज0
27.02.16

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0:0100440/2014

सरकार बनाम माता प्रसाद आदि

27–02–2016

पुकारा गया। अभियुक्त **माता प्रसाद उर्फ मतऊ,रामपाल एवं अजय विश्वकर्मा** उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विरुद्व थाना गोसाईगंज द्वारा आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 354–ख,394 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)11 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट प्रस्तुत किया गया है।

आरोप के विन्दु पर विद्वान अभियोजन अधिकारी एंव अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया एंव पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित किये जाने पर बल दिया। इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है । अतः उन्हें उन्मोचित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस अभिलेखों से अभियुक्त के विरुद्व प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा 354–ख,394 भादंसं0 व धारा 3(1)11 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट गठित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण पर उपरोक्त धाराओ में आरोप पृथक पत्र पर विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उन्होनें आरोप अस्वीकार किया तथा परीक्षण चाहा।

अभियोजन साक्षी तलब हों। पत्रावली दिनॉक 25/05/2016 को साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट,
लखनऊ।

अ0ज0
27.02.16